सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (2 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू—अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीं वृद्ध को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने व्या वैधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्य/विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा—15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा—6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक—30 सन् 2013) की धारा—10 के प्रावधान भी सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक ४ अक्टूबर 2017

क्र. एफ 15-12-2017-सात-शाखा 6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित गाँवों के लिये, उसके कॉलम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाए:—

अनुसूची

तहसील आरौन, जिला गुना

क्रमांक	पटवारी हल्का क्रमांक सहित गाँवों के नाम	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये
		प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)
01	01. मूल ग्राम-कुसमान	अधीक्षक, भू–अभिलेख,
	02. नवीन ग्राम-खिरिया बंजारा	(नियमित) जिला गुना,
	प.ह.नं. 18.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भारती ओगरे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2017

क्र. एफ 15-12-2017-सात- शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-12-2017-सात- शा. 6, दिनांक 4 अक्टूबर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भारती ओगरे, उपसचिव.

Bhopal, the 4th October 2017

No. F. 15-12-2017-VII-Sec.6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959, the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof:—

SCHEDULE

Tahsil-Sheopur, District-Sheopur

Serial No.	Name of village(s) with P.C. No.	Designation of the officer authorised to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
01	01. Original Village-Kushman02. New Village -Khiriya banjara,	Superintendent of Land Records, (regular),
	P.H.No. 18.	District -Guna.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, BHARTI OGREY, Dy. Secy.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. 2349-2785-2017-पचास-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और सरंक्षण) अधिनियम, 2015 (सहपठित नियम 2016) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (3)द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिए किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिए पदांकित करता है:—

अनुसूची

क्र.	जिले का नाम	सदस्य का नाम एवं प्रवर्ग
(1)	(2)	(3)
1.	इंदौर	1. डॉ. चेना त्रिवेदी, आरक्षित (महिला)
		2. डॉ. नितिन बंलवंत शुक्ला, अनारक्षित